

20/6/17

मसूदा (अजमेर)

वक्तू करी केन उपरिफत। एह पत्रकाराग बुकी गरी आक वचपत
 कारी हारा दिनांक 21.2-2011 के का सं 1769 कारत इसी न्यायलय
 के काद विचारणी डोके हें अपील यहेन योग्य नही पाई जाती
 एह अपील स्वयं निरस्त की जाती है। निम्न कर्णाल
 शुभार होकर गन्व हें करे है।



उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

